RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal (RHIMRJ)
Research Paper

असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर सरकारी कार्यक्रमों का प्रभाव

[1]विकास कुमार राणा; [2]डॉ0 अशोक कुमार सिंह

[1]शोधार्थी स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
[2]विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग महाराजा कॉलेज आरा(भोजपुर) वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

परिचयः

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिए गए नारे समानता, विकास और शांति के साथ 1975 में मेक्सिको में आयोजित महिला दशक 1985 में नैरौबी में संपन्न हुआ था। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष भी मानाया गया। विश्व के इतिहास में संभवतः महिला विमर्श की यह पहली सशक्त वैश्विक उतेजना थी। भारत में भी इस परियोजना के संदर्भ में कमेटी बनी जिसने अपनी रिपोर्ट 1947 में दी। इस रिर्पोट तथा संयुक्त राष्ट्र की कॉल फॉर एक्शन के प्रत्युत्तर में भारत में 'नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर वूमेन' का प्ररूप बनाया। इसके बाद से महिला सशक्तिकरण नीति की दिशा में देश बढ़ने लगा। इसके बाद वर्ष 2001 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति जारी की तथा इस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया इस नीति का उद्येश्य महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बना कर उन्हें प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है। महिलाओं के साथ हर तरह के भेदभाव को समाप्त कर उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में खुल कर भागीदारी करने का र्माग सुनिश्चि करना है।

इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की योजराओं व कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक शैक्षिक सशक्तिकरण के उद्येश्य से मार्च 2010 को राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन शुरू किया गया। इसका उद्येश्य महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दो जैसे शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ, कानूनी अधिकार, सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण तथा प्रमुख नीतियों कार्यक्रमों एवं संख्यात्मक प्रबंधनों की बाधाओं को दूर करना है। इन सब के अलावा महिलाओं के विकास रोजगार शिक्षा स्वारूप से संबंधित कई सारी योजराएं और अभियान अमल में लाए गए है। इसका खास कर असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के समाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में काफी हद तक मिला है।

भारतीय परिद्वश्य में महिलाओं को काफी समय से आर्थिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर समझा जाता रहा है और वे पुरूषों पर अधिक निर्भर रही है। उन्हें प्रेम की मूर्ति तथा अबला के रूप में दिखाया गया है एवं सामाजिक दासता तथा बंधन में रखने का प्रयास किया गया है। ऐसी स्थिति में पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं के विकास के समुचित अवसर न प्राप्त हो सके और न ही धार्मिक एवं सामाजिक संकीर्णता से उनका उत्थान संभव हो सका।

किन्तु 19वी सदी में राजाराम मोहन राय, दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिक सोसाइटी के प्रयत्नों, अंग्रेजों के प्रयत्नों तथा सतीप्रथा अधिनियम 1928 तथा भारतीय महिला समिति, विश्वविद्यालय महिला संद्य, अखिल भारतीय स्त्री संस्था, कस्तुरबा गाँधी स्मारक ट्रस्ट, गाँधी और बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयत्नों से महिलाओं की दशा सुधारने के प्रयत्न किए गए।

हमारे देश में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने तथा उन्हें भालीभांति विकासिक होने के लिए संविधान में कुछ व्यवस्थाये दी गई है, जो इस प्रकार हैः–

तालिका

भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए प्रवधान

संविधान का अनुच्छेद	महिलाओं हेतु उपयोगी प्रावधान
अनुच्छेद–15	लिंग, धर्म, जाति,स्थान किसी अधार पर भेदभाव नही करना।
अनुच्छेद–16	लॉ सेवाओं में बिना भेद–भाव अवसर की समानता।
अनुच्छेद–19	समान रूप से अभिकवित की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद–21	समान रूप से प्राण एवं वैदिक स्वाधीनता से वंचित न कर सकता।
अनुच्छेद–41	पंचायती राज संस्थाओं के 37वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था।

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

अनुच्छेद–42	महिलाओं हेतु प्रसूती सहायता की व्यवस्था।
अनुच्छेद–47	पोषाहार, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने सरकार का दायित्व।
अनुच्छेद–330	प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिये लोक सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था।
अनुच्छेद–332(क)	प्रस्तावित 84वे संविधान संशोधन के जरिये राज्यों के विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था।

इसके अतिरिक्त महिलाओं के हितो की रक्षा और उनके विकास हेतु कदम उठाने के लिए एवं परामर्श देने के लिए वर्ष 1992 ई॰ में देश में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। इसी तर्ज पर बिहार में राज्य महिला आयोग का भी गठन किया गया। इन संवैधानिक प्रवधानों के अतिरिक्त विभिन्न अधिनियम पारित किये गए, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के क्षेत्र में सहयोगी रहे।

सरकार द्वारा महिलाओं के बेहतरी के लिए किए गए उपायः–

कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासः–

कामकाजी महिलाओं के लिए दिन में देख–रेख केन्द्रों सहित छात्रावास भवनो के निर्माण और विस्तार के लिए सहायता की योजना 1972 ई॰ से क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना कामकाजी महिलाओं रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं तथा विद्यालयोतर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रही छात्राओं के सुरक्षित एवं वहनीय आवास के प्रवधानों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। हांलाकि यह संगठित क्षेत्र की योजनाएं हैं किन्तु आवश्यकतानुसार इसको गाँवो में असंगठित क्षेत्रों में भी लागू किया जाता हैं।

स्वावलंबनः– स्वावलंबन कार्यक्रम जिसे पहले महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, 1982 से 1983 में समूचे देश में शुरू किया गया। इस योजना का उद्येश्य समुहो में गरीन और जरूरतामंद महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गो की महिीाओं को शामिल करना है।

इस योजना का उद्येश्य महिलाओ को स्थायी अधार पर रोजगार अथवा स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। जैसेः– कम्प्युटर प्रोग्रामिंग, असैम्बलिंग, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक मरम्मत, रेडियो एवं टी॰वी॰ मरम्मत, वस्त्र निर्माण, हथकरधा बुनाई, मे प्रशिक्षण दिये गये। बिहार राज्य के मुस्लिम ग्रामीण महिलाओं को हस्तशिल्प तथा काशीकदारी में प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

स्टेपः– महिलाओ को रोजगार के 10 पारंपरागत क्षेत्र जैसे– कृषि, पशुपालन, डेंयरी, मछली पालन, हथकरधा, हस्तलिपि, खदी और रेशम कीट पालन प्रशिक्षण देने के लिए 1986–87 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अथवा कार्यक्रम ''स्टेप'' का शुभारंभ किया गया। यह योजना उन सरकारी संगठनों राज्यो के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है जो कम– से–कम तीन वर्षो की अवधि से अस्तित्व में है।

स्वयंसिद्धाः– 12 जुलाई 2001 को केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयंसिद्धा योजना स्वयं सहायता समूह आधारित योजना हैं। पूर्व में चलरही इंदिरा महिला योजना तथा महिला समृद्धि योजना को मिलाकर शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण करना है।

सेवाओं को दायरे में लाने, लघु–ऋणों तक पहुँच बढ़ाने एवं लघु–उद्योग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए स्वयं सहायता समुहों(ण्ण्ळण्) के माध्यम से असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु यह एक समन्वित परियोजना है।

आशा योजनाः– इस योजना की शुरूआत 11 फरवरी 2005 को की गई योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रत्येक गांव में स्थानीय स्तर पर एक आशा कार्यकर्ता की तैनाती के प्रवधान है। इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी राज्यों मे लागू किया गया है।

चलो गांव की ओर कार्यक्रमः– 3 फरवरी 2006 को शुरू केन्द्र सरकार की इस योजना मे ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने हेतु उन्हें कानूनी अधिकारो निःशुल्क कानूनी सहयोग और आर्थिक सामाजिक सुधार की विभिन्न योजनाओं से परिचित कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता लाना है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओंः– 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई इस महत्वकांक्षी योजना का उद्देश्य बालिकाओं के लिए सकारात्मक माहौल के साथ–साथ उन्हें शिक्षा के द्वारा सामाजिक व आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाते हुए उनके अस्तित्व की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

मुद्रा योजनाः– सरकार द्वारा प्रारंभ मुद्रा योजना उन महिलाओं की व्यक्तिगत स्तर पर मदद करती है जो छोटे व्यवसाय जैसे– व्यटी पार्लर,टेरलिंग, ट्यूशन सेंटर इत्यादि चलाना चाहती है। यह योजना महिला समूहों की भी मदद करती हैं। इसमे ऋण हेतु किसी प्रकार का जमानत राशि की आवश्यकता नही है।

इसके अन्तरगत क्रमशः शिशु–50000रू., किशोर–50000–5लाख रू., तरूण–100000 रूपए तक की ऋण राशि है। उपरोक्त संवैधानिक नियमो कानूनो और सरकार द्वारा समय–समय पर बनाई गई अनेको योजनाओं और कानूनो कि अगर बात करें तो इनकी संख्या काफी है। परन्तु सरकार द्वारा बनाई गई महिला विषयक नीतियो और उसके द्वारा लिए गए फैसलों की निष्पक्ष समीक्षा करने पर पता चलता है कि सरकारी स्तर पर महिलाओं के विकास के लिए योजनाएँ तो खूब बनी है और गंभीर बनी है लेकिन कार्यपालिका की कमजोरी, लुंज–पुंज नौकरशाही, शिक्षा की कमी और अत्यधिक जनसंख्या दबाव के कारण ये योजनाए महिलाओं खासकर असंगठित क्षेत्र. की महिलाओं तक न पहूँच सिर्फ और सिर्फ फाइलों में ही दम तोड़ देती है।

महिलाओं की उचित भागीदारी के अभाव में कोई समाज राज्य एवं राष्ट्र सम्पूर्ण विकास की कल्पना नही कर सकता। क्योकि इनके विकास में ही सामाजिक विकास सन्निहित है। संविधान मे महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष रखकर उन्हें विकास का समान अवसर देने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्र एवं विश्व स्तर पर महिलाओं की सशक्त उपस्थिति आवश्यक है। 8 मार्च,2007 को 'अंवर्राष्ट्रीय महिला दिवस' की सार्थकता को पुष्ट करने के लिए नारीत्व भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए 4 डाक टिकटो का लोकार्पण किया गया है। अनेक कार्यक्रम और नीतिगत प्रयास से महिला सशक्तिकरण को लक्षित किया जा रहा है, परन्तु समाज में नकारात्मक शक्तियो की तत्परता भी लक्ष्य प्राप्ति मे बाधक है जिसे नियंत्रित करने का दायित्व प्रशासन पर होता है। विधियों का अनुपालन जनता समान्यतः करती है, उलंधन अपवाद स्वरूप ही होता है। प्रशासन की प्रतिबद्धता, राजनीतिक इच्छा शक्ति को स्वरूप प्रदान करती है तथा सामाजिक परिवेश में नाकारात्मक प्रतिक्रियावादी शक्तियों को नियंत्रित करती है। प्रत्येक प्रशासनिक कदम समाज में एक संदेश विखेरता है। प्रशासन भी उसी समाज का अंग है जिस समाज की कुरीतियो को दूर करने का दायित्व उसपर है। प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी भी पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते है।

लेकिन सिर्फ नियम–कानून प्रशासन के उपर हम सारी बातो को छोड़कर नही बैठ सकते। इससे भी आगे बढ़कर समाज को भी इन गभीर विषयो पर आत्म निरीक्षण एवं आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है जिससे समाज प्रत्येक दृष्टिकोण से संतुलित अवस्था में रह सकें।

समाज के सतत विकास के लिए जरूरी है कि समाज में सभी आगे बढे और सभी वर्गो को प्रगति करने के समान अवसर प्राप्त हो। यह एक स्थापित तथ्य है कि महिलाए विकास की दौड मे आज पीछे छूट गई हैं। महिलाओ विकास–क्रम अगर पिछले पायदान पर होगी तो हम कैसे महिला सशक्तिकरण का दावा कर सकते है। देश स्तर पर तो महिलाओं के विकास हेतु कार्य हो ही रहे हैं। बिहार सरकार भी महिलाओ को सशक्त बनाने हेतु अनेको कार्य कर रही है जिसमे कि बिहार सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कदमों मे पंचायती राज व्यवस्था मे महिलाओ को 50: आरक्षण, नोकरियों में 50: का आरक्षण के साथ–साथ पूर्ण रूप से शराब बंदी। ये योजनाएँ सिधे–सिधे खासकर असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक उन्नती के साथ उनके सर्वागीण विकास में मजबूत स्तभ की तरह कार्य कर रहे है। इसके अलावे शिक्षा, चिकित्सा, गरीबी–निवारण, स्वरोजगार तथा सरकारी योजनाओं में महिलाओं को वरीययता दी जा रही है।

सरकार का सबसे ज्यादा जोर बालिका–शिक्षा पर है क्योकि एक बालिका को शिक्षित बनाकर हम पूरे परिवार को शिक्षित बना सकते है। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है। इसलिए सरकार ग्रामीण इलाको में स्कूल मे दाखिला लेने पर कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाते हैं। उन्हे मुफ्त मे वर्दी, किताबें और केन्द्र सरकार द्वारा बारवी तक की शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त मे दिये जाने का प्रवधान है।

सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर और सशक्त बनाने के लिए जो भी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है। उन कार्यक्रमो के माध्यम से असंगठित क्षेत्र की महिलाएं अधिक स्वावलंबी व आतनिर्भर हुई है। उनमे आत्मविश्वास और मनोबल का संचार हुआ है। वह अपने अधिकारो के प्रति सजग हुई है। शिक्षा के प्रसार व जागरूकता बढाने से वह ग्रामीण विकास मे योगदान दे रही हैं। आज उनके मानस पटल पर भी स्वरोजगार प्रशिक्षण उद्यमिता की तस्वीरे बदलने लगी। घर की चारदीवारी मे चूल्हा–चौका के अलावा शेष बचे समय का सदुपयोग कर पैसा कमाने की ललक व पढने–लिखने के प्रति जागरूकता यह बताती है कि बदलाव की बयार रूढियो और परंपरओं की बेडियो को तोडने के लिए आतुर है। महिला सुरक्षा से जुडे आंकडो को देखकर महिला संशक्तिकरण की नई तस्वीर दिखाई देती है।

निष्कर्ष:

अनेक ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यो से महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरूषों की तुलना में अपेक्षाकृत निम्न है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं आर्थिक भागीदारी से संबंधित संकेतो में भी पुरूषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति निम्नतर बनी है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में मजदूरी पर जारी की गई रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि स्त्री–पुरूष मजदूरी अनुपात मे अंतर आज भी है। ग्रामीण महिलाए अधिकतर असंगठित क्षेत्र मे कार्य कर रही है जहॉ कठोर परिश्रम के बावजूद उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। विधवाओ, विकलांग, पिछडे वर्ग की महिलाओं को सरकार से प्राप्त सहायता का उचित लाभ नही मिल पाता है।

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

ISSN: 2349-7637 (Online)

बहरहाल सरकार का चाहिए कि वे महिलाओं के लिए पृथक रूप से राजनीतिक समझ का विकास किया जा सके। इस कार्य मे स्वैच्छिक संस्थामे भी प्रत्येक वर्ग की महिलाओं के लिए पृथक शिविरो का आयोजन कर उन्हें प्रबुद्ध नागरिक योग्य बना सकती है। इस प्रकार सरकार के साथ–साथ आम जनमानस को भी असंगठित क्षेत्र कि महिलाओ के प्रति अपनी सोच को बदला होगा। सामाजिक स्तर पर भी सभी वर्गो की महिला को यथासंभव जागरूक करने का प्रयास सभी वर्गो द्वारा किया जाना चाहिए ताकि असंगठित क्षेत्र की महिलाएँ भी सामाजिक और आर्थिक रूप से अपने आप को सुरक्षित और बेहतर बना सकें।

संदर्भ सूचीः

1. कुरूक्षेत्र मार्च 2015, ग्रामिण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ॰–17–19, पृ॰25–29
2. पुरी, मोहनः– नारी से बनते मजबूत समाज, मैत्रेय पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली,2005, पृ॰26
3. न्याय के साथ विकास, बिहार सरकार रिर्पोट कार्ड 2016–17, पृ॰43
4. जैन, अरविंद–औरत होने की सजा, राजकमल पेपर वर्क्स, नई दिल्ली, 2006 पृ॰ 12
5. कुल्हरी, डा॰ सुमन, महिला एवं मानवाधिकार, रितु पब्लिकेशन्स, सीतारामपुर, अमेर रोड, जयपुर,2010, पृ॰ 4
6. श्रीकांत–जायदाद मे हक महिलाओं को भी, नवोदय सेल्स, नई दिल्ली,2012, पृ॰3

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

ISSN: 2349-7637 (Online)